प्रेषित

संख्याः457 /VII-1/05/196-ख/2004

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

श्री प्रकाश सिंह घपोला,
पुत्र श्री रतन सिंह,
निवासी ग्राम सखोला, पो0 काण्ड,
जिला–बागेश्वर।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांकः 16 जनवरी, 2006

विषयः **ग्राम तल्ला घपोली, तहसील व जनपद बागेश्वर के 7.503 हैक्टेयर क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस वास्ते खनिज सोपस्टोन के प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस विलेख निष्पादित करने विषयक।**

महोदय,

उक्त विषयांकित प्रा0ला0 स्वीकृति हेतु प्रेषित आपके आवेदन पत्र दिनांक 13.03.2001 के क्रम में शासनादेश संख्याः 80/सात/196–ख/2004 दिनांक 05.03.2005 द्वारा आपको 7.503 हैक्टेयर क्षेत्र के एक खण्ड में खनिज सोपस्टोन के प्रा0ला0 की एक वर्ष की अवधि हेतु सशर्त स्वीकृति जारी की गयी थी।

उक्त शासनादेश में वर्णित शर्तो की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे आपको यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि आप द्वारा शासनादेश की निम्न शर्तो की पालना अभी तक नहीं की गई है :–

शर्त संख्या 9.5

शासनादेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह के भीतर प्रा0ला0 विलेख निष्पादित करना होगा अन्यथा स्वीकृति आदेश बिना किसी पूर्व सूचना के प्रतिसंहृत कर दिया जायेगा।

शर्त संख्या 9.9

स्वीकृति 7.503 हैक्टेयर क्षेत्र में प्रोस्पेक्टिंग कार्य करने से पूर्व 12.92 एकड़ वन भूमि के सम्बन्ध में वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार के वन विभाग/भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रा0ला0 विलेख निष्पादन से पूर्व प्राप्त करना आवश्यक होगा।

मा0 उच्च न्यायालय में आप द्वारा दायर वाद संख्या 1323/एम0बी0/05 के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तरिम निर्णय दिनांक 12.12.2005 के अनुपालन में आपके पत्र दिनांक 19.12.05 से आपको प्रा0ला0 पर स्वीकृत 7.503 हैक्टेयर क्षेत्र में से केवल 5.4 एकड़ वन रहित क्षेत्र हेतु ही प्रा0ला0 विलेख निष्पादित करने हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में

मुझे आपको यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत प्रा0ला0 पर स्वीकृत क्षेत्र कॉम्पेक्ट व कंटीगुअस होना आवश्यक है परन्तु जिस 5.4 एकड़ क्षेत्र हेतु आप प्रा0ला0 विलेख निष्पादित कराना चाहते हैं व कई खण्डों में तथा काम्पेक्ट व कंटीगुअस नही होने से उसका प्रा0ला0 विलेख निष्पादित नहीं किया जा सकता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियम, 2003 के सम्बन्ध में जारी मार्गदर्शिका एवं स्पष्टीकरण पुस्तिका के अध्याय 4 के प्रस्तर 4.4 के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि में वन भूमि के साथ गैर वन भूमि भी सम्मिलित हो तो गैर वन भूमि पर भी तब तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा जब तक केन्द्र सरकार से वन भूमि के उपयोग हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली जाती।

इस प्रकार आप द्वारा अब तक न तो आपको स्वीकृत 7.503 हैक्टेयर क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली 12.92 एकड़ वन भूमि के सम्बन्ध में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त की है तथा न ही शासनादेश दिनांक 05.03.2005 जारी होने के 90 दिवस के भीतर प्रा0ला0 विलेख निष्पादित कराया है, जो खनिज परिहार नियमावली 1960 के नियम 15 का उल्लंघन है। अतः शासन द्वारा आपको स्वीकृत प्रा0ला0 का शासनादेश संख्याः 80/सात/05/196-ख/2004 दिनांक 05.03.2005 को निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।

यदि आप इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो इस पत्र के प्राप्ति के 15 दिवस में अपना प्रत्युत्तर/पक्ष निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा उसके पश्चात शासन द्वारा प्रा0ला0 स्वीकृति का शासनादेश दिनांक 05.03.2005 को निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः ५३७ (1)/VII-1/06/196-ख/2004
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
2. अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
3. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।